न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 104/2016 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री वरदीचन्द्र पिता श्री सवराम जी गुर्जर निवासी नवानियां तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री हरलाल पिता सवराम जी गुर्जर निवासी नवानियां तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती डाडमी पिता सवराम गुर्जर पत्नी भाया जी गुर्जर निवासी गांव किकावास तहसील वल्ल्भनगर जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता बाबरू गुर्जर निवासी गांव नवानियां तहसील वल्ल्भनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री लक्ष्मीलाल पिता बाबरू गुर्जर निवासी गांव नवानियां तहसील वल्ल्भनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती पुष्पा पिता बाबरू पत्नी श्री बाबरू गुर्जर निवासी केमरी तहसील वल्ल्भनगर जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती उदीबाई बेवा बाबरू गुर्जर निवासी गांव नवानियां तहसील वल्ल्भनगर जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री तुलसीराम पिता छगनलाल गुर्जर निवासी गांव नवानियां तहसील वल्ल्भनगर जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री रूपलाल पिता छगनलाल गुर्जर निवासी गांव नवानियां तहसील वल्ल्भनगर जिला उदयपुर (राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्ल्भनगर दिनांक 13–6–2016 प्रकरण संख्या 227/2013 वाद

————

उपस्थित :—1— श्री नरेश जणवा अभिभाषक अपीलान्ट्स

2— श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2

3— श्री राजेश पटेल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या—6

4— राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या—7

——————/——————

निर्णय **दिनांक 23—01—2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1 वादी द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—53, 188 का वाद पेश कर ग्राम नावानियां की भूमि का विभाजन कर स्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का अनुरोध किया। प्रकरण में दिनांक 4—12—2014 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित की तथा मिसल को शुमार फैसल करने के बाद 17—12—2014 से पुनः पत्रावली की आदेशिका प्रारम्भ कर दिनांक 13—6—2016 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 3—10—2016 को दफा—5 जाब्ता मयाद के आवेदन व शपथ पत्र के साथ पेश की। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1, 2 की और से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी, रेस्पोन्डेन्ट संख्या—6 की और से अधिवक्ता श्री राजेश पटेल, रेस्पोन्डेन्ट संख्या—7 सरकार औपचारिक पक्षकार की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जो कि तहसीलदार के स्थान पर पटवारी द्वारा वास्तविक मौके के स्थान पर मनमकसूद कब्जे के विरूद्ध तैयार कर भिजवाये गये, उन्हीं के आधार पर अपीलान्ट को बिना सुने व आपत्तियां लिए प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अनिस्थ न्यायालय द्वारा असक्षम व अनाधिकृत कार्मिक से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलान्ट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 13–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं की उपस्थिति में सभी पक्षकारों को सूचित कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाकर उभयपक्षें की आपत्तियां यदि कोई है, तो उनका विधिक निस्तारण कर प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर